इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2021—पौष 30, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021

क्र. एफ—2—1—2021—इकसठ—1/लोसेप्र/पी.एस.जी.—बीस.— मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ—2—13—2012—61—1—लोसेप्र, दिनांक 10 अप्रैल 2013 में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से संबंधित सेवा क्रमांक 20.1, 20.2, 20.3, 20.6 एवं 20.7 को विलोपित (डी—नोटिफाई) किया जाता है :—

डी—नोटिफाई

उक्त अधिनियम की अधिसूचित सेवाओं को —

(1) सेवा क्रमांक 20.1 —गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति को विलोपित (डी—नोटिफाई) किया जाता है.

(2) सेवा क्रमांक 20.2 —परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति को विलोपित (डी—नोटिफाई) किया जाता है.

(3) सेवा क्रमांक 20.3 —टर्मलोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति एवं वितरण (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों हेतु) को विलोपित (डी—नोटिफाई) किया जाता है.

(4) सेवा क्रमांक 20.6 —माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत् मेमोरेंडम जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना, को विलोपित (डी—नोटिफाई) किया जाता है.

(5) सेवा क्रमांक 20.7 —चिन्हित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करना को विलोपित (डी—नोटिफाई) किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.